# निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, UWCDS (मिशन शक्ति)
निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 289/249/UWCDS/ 2025-26 दिनांक : 16 जून 2025

**विषयः– मा0 मुख्यमत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या 151/2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या 151/2023 के क्रम में 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' के संचालन हेतु शासनादेश संख्या I/301446/XVII(4)/ 2025-5(07)2023(57518), दिनांक 28 मई 2025 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः पत्र के साथ शासनादेश संख्या I/301446/XVII(4)/ 2025-5(07)2023(57518), दिनांक 28 मई 2025 की प्रति, विज्ञप्ति का प्रारूप एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे है कि 02 राष्ट्रीकृत समाचार पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में दिनांक 18 जून 2025 को अपने–अपने जनपदों हेतु अनिवार्य रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुए दिनांक 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित आवेदन प्रारूप पर आवेदन प्राप्त किया जायेगा व शासनादेश संख्या I/301446/XVII(4)/ 2025-5(07)2023(57518), दिनांक 28 मई 2025 के अंतर्गत प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में दिनांक 15 अगस्त 2025 से पूर्व अनिवार्य रूप से अपने जनपद से अर्ह प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

**संलग्नक– यथोपरि।**

(प्रशांत आर्य)
निदेशक

**प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. वरिष्ठ निजि सचिव, मा0 कैबिनेट मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
2. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राज्य नोडल अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून।

निदेशक

''सशक्त महिला सशक्त समाज''
निदेशालय
आई0सी0डी0एस0,उत्तराखण्ड
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून।
दूरभाश नं0–0135–2775813,14,16, ई0मेल–dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक संख्या /249/UWCDS/2025-26 दिनांकः जून 2025

# विज्ञप्ति

## मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

### एक सशक्त महिला उद्यमी योजना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य की मूल/स्थायी एकल (निराश्रित)/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गाँव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित किये जाने व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किये जाने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है। जिस हेतु पात्र महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता आधारित किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

उक्त योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश, अनिवार्य अर्हताएं एवं आवेदन का निर्धारित प्रारूप विभागीय वैबसाइट www.wecduk.in पर जनसामान्य के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है। योजना से सम्बन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

योजना से सम्बन्धित आवेदन दिनांक 31 जुलाई 2025 सांय 5.00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के द्वारा केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रस्ताव चयन/निरस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त अधिकार निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पास नियत रहेंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड

# मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

## आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप

स्वप्रमाणित फोटो

1. महिला का नामः .....
2. पिता/पति का नामः .....
3. माता का नामः .....
4. स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें):.....
5. स्थायी निवास (ग्राम/वार्ड का नाम): .....
6. आधार कार्ड संख्याः .....
7. जन्म तिथि (प्रमाण की प्रति संलग्न करें) : .....
8. वर्ग/श्रेणी {एकल (निराश्रित) महिला, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल (निराश्रित) महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपनी व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो} इसमे जिस वर्ग में हों का उल्लेख करें: .....
9. वर्ग/श्रेणी (सम्बन्धित प्रमाण की प्रति संलग्न करें): .....
10. पेंशन प्रमाण (विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग आदि): .....
11. पारिवारिक आयः (प्रति संलग्न करें): .....

12. चयनित व्यवसाय का नाम : .....
(योजना में कृषि/बागवानी/पशुपालन/कुक्कुट पालन/भेड/बकरी/मत्स्य पालन/उद्यान/फल एवं खाद्य प्रसंस्करण/ब्यूटी पार्लर/बुटीक/रिपेयरिंग/आल्ट्रेशन/टेलरिंग/सौंदय प्रसाधन/जनरल स्टोर/जलपान/टिफिनसर्विस/कैंन्टीन/कैटरिंग/प्लम्बर/इलैक्ट्रीशियन/डाटा एण्ट्री कार्य हेतु/कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग/टेली कॉलिंग/हिन्दी कॉल सेंटर एवं अन्य इसी प्रकार के निजी व्यवसायों को भी सम्मिलित किया जा सकता है)

13. चयनित व्यवसाय हेतु पूर्व में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त है या नहीं:.....

14. इस सम्बन्ध में दोहरा लाभ सम्बन्धी नोटराईज्ड स्वधोषणा प्रमाण पत्र संलग्न है या नही....

15. चयनित व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण/अनुभव प्राप्त है या नहीं:.....

16. योजना की प्रस्तावित कुल लागत/धनराशि रू0:.....

17. योजना के तहत् सहयोग धनराशि की मांगः (अधिकतम 1.5 लाख): .....

18. लाभार्थी द्वारा देय 25% का माध्यम (लोन अथवा निजी श्रोतों से): .....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त में दी गई समस्त सूचना एवं संलग्न दस्तावेज सत्य और सही है यदि उपरोक्त से सम्बन्धित जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी।

नाम.....

हस्ताक्षर.....

# महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

## योजना का नाम– मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

1. **योजना का संक्षिप्त परिचयः** 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है जिसे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा। यह योजना उत्तराखण्ड की एकल (निराश्रित) महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य की एकल (निराश्रित) महिलाओं से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो एकल (निराश्रित) महिला, अविवाहित (जो परिवार पर आश्रित न हो), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल (निराश्रित) महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपना व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो, को समझा जायेगा।

2. **योजना का उद्देश्य** : योजना का मुख्य उद्देश्य एकल (निराश्रित)/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गाँव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

3. **योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंड :**
   1. महिला उत्तराखण्ड की मूल/स्थायी निवासी होनी चाहिये।
   2. एकल (निराश्रित) महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिये।
   3. एकल (निराश्रित) महिला, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल (निराश्रित) महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपनी व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो।
   4. समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित परित्यक्ता महिला पात्र होंगी, समाज कल्याण विभाग में परित्यक्ता के पंजीकृत न होने की दशा में ग्राम में प्रमाणपत्र ग्राम प्रधान द्वारा दिया जायेगा, तथा शहरी क्षेत्रों में प्रमाणपत्र निकाय अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा। अपने क्षेत्रान्तर्गत मा0 विधायक एवं मा0 सांसद महोदय द्वारा भी प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा। ऐसे प्रमाणपत्र के साथ महिला द्वारा शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   5. कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं–यथा विधवा, दिव्यांग, आदि महिलाएं।
   6. एकल (निराश्रित) महिला की पारिवरिक आय रू0 72,000/– (रू0 बहत्तर हजार मात्र) प्रति वर्ष।
   7. किसी भी संगठित सेवा–सरकारी, गैर–सरकारी उपक्रम आदि में कार्यरत अथवा राजकीय/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिला योजना हेतु अपात्र होंगी।
   8. राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य रोजागार सम्बन्धी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इसकी पात्र नहीं होगी।
   9. पूर्व में किसी भी योजना की हितग्राही या वित्तीय संस्थान से defaulter महिला अपात्र होंगी।
   10. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष ही चयनित एकल (निराश्रित) महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

11. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार का दोहरा लाभ समान गतिविधि हेतु नही लिया है, के सम्बन्ध में नोटराईज्ड स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

12. **योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु 'पहले आओ पहले पाओ' पद्धति के अनुसार पात्र महिला को लाभान्वित किया जायेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नये आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।**

13. योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पात्र महिला लाभार्थी को लाभान्वित किया जायेगा।

4. **योजना के अंतर्गत चयनित व्यवसाय :** इस योजना में स्वरोजगार के लिए महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता आधारित किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना में कृषि/बागवानी/पशुपालन/कुक्कुट पालन/भेड/बकरी/मत्स्य पालन/उद्यान/फल एवं खाद्य प्रसंस्करण/ब्यूटी पार्लर/ बुटीक/रिपेयरिंग/आल्ट्रेशन/टेलरिंग/सौंदर्य प्रसाधन/जनरल स्टोर/जलपान/टिफिन सर्विस/कैन्टीन/कैटरिंग/प्लम्बर/इलैक्ट्रीशियन/डाटा एण्ट्री कार्य हेतु/कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग/टेली कॉलिंग/हिन्दी कॉल सेंटर एवं अन्य किसी भी प्रकार के निजी व्यवसायों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

5. **योजना के अंतर्गत परियोजना की लागतः** योजनान्तर्गत रोजगार सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु अधिकतम धनराशि रू0 2.00 लाख तक के कार्य/परियोजना स्वीकृत किये जायेंगे **अथवा** योजनान्तर्गत रोजगार सब्सिडी दी जा सकेगी, जिसके अनुसार लाभार्थी द्वारा स्वयं के श्रोतों/लोन के रूप में ली गयी धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत अथवा रू0 1.50 लाख (जो भी अधिकतम हो) धनराशि की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

1. योजना के अंतर्गत परियोजना हेतु महिला को विभागीय अनुदान धनराशि 75% देय होगी एवं महिला का स्वयं का अंशदान 25% अनिवार्य रूप से देय होगा।
2. 75% विभागीय अनुदान लाभार्थी महिला को 03 किश्तों में क्रमशः प्रथम किश्त 50%, द्वितीय किश्त 30% एवं तृतीय किश्त 20% के रूप में प्रदान की जायेगी एवं उसी के अनुरूप ही लाभार्थी महिला को अपना अंशदान जमा करना होगा।
3. प्रथम किश्त 50% विभागीय अनुदान की प्राप्ति के समय लाभार्थी महिला के द्वारा योजना के अंतर्गत खुलवाये गये बैंक खाते में अपना 25 प्रतिशत का अंशदान का 50 प्रतिशत अर्थात कुल धनराशि का 12.5% (स्वयं की बचत राशि, बैंक लोन या अन्य श्रोतों) से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. लाभार्थी को अनुदान की प्रथम किश्त वितरण की तिथि से 06 माह के भीतर अपना स्वरोजगार प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्रथम किश्त वितरण की तिथि से छः माह के भीतर स्वरोजगार प्रारम्भ न किये जाने की दशा में दिये गये अनुदान/सब्सिडी की वसूली 01 प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। इसे भू–राजस्व के बकाये की वसूली प्रक्रिया द्वारा वसूला जायेगा।

6. **स्वीकृत अनुदान की किश्तों की अदायगी :** स्वीकृत परियोजना के तहत निम्न शर्तों के अधीन अनुदान की धनराशि निम्नवत दी जायेगीः

| क्र | किश्त | शर्त (विभागीय अनुदान एवं लाभार्थी महिला के अंशदान हेतु ) |
|---|---|---|
| 1 | विभागीय अनुदान की प्रथम किश्त 50% | लाभार्थी महिला के द्वारा योजना के अंतर्गत खुलवाये गये बैंक खाते में अपने 25% अंशदान का 50% अर्थात 12.5% अंशदान जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त ही प्रथम किश्त निर्गत की जायेगी। |
| 2 | विभागीय अनुदान की द्वितीय किश्त 30% | प्रथम किश्त निर्गत होने के अधिकतम 06 माह व इससे पूर्व जो भी समय/अवधि होगी, में लाभार्थी महिला के द्वारा विभागीय अनुदान एवं स्वयं का अंशदान से व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही विभागीय अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व लाभार्थी महिला को अपने अंशदान का 30% अंशदान खाते में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। |
| 3 | विभागीय अनुदान की तृतीय किश्त 20% | द्वितीय किश्त निर्गत होने के पश्चात 03 माह के भीतर सफलतापूर्वक व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है, का स्थलीय निरीक्षण एवं ऑडिट कराया जायेगा। स्थलीय निरीक्षण एवं ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर एवं लाभार्थी महिला के अंशदान की 20% धनराशि खाते में जमा कराये जाने पर विभागीय अनुदान की तृतीय किश्त निर्गत की जायेगी। |

**परियोजना संचालन की समय एवं अनुदान निर्गत अवधिः 1 वर्ष**

**योजना के अंर्तगत लाभार्थी एवं परियोजना (व्यवसाय) गतिविधियों का चयनः** इस योजना के अंर्तगत उपरोक्त में उल्लेखित उद्देश्यों के संचालन हेतु विभिन्न गतिविधियों के चयन हेतु जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर निम्नानुसार समितियों का गठन कर लाभार्थियें एवं व्यवसाय का चयन किया जायेगा।

**जनपद स्तरीय कमेटी**

1. मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी – सदस्य सचिव
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
4. **लीड बैंक विकास प्रबन्धक (LDM) – सदस्य**

जनपद मे विभागान्तर्गत कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से विकासखण्ड/बाल विकास परियोजना क्षेत्र हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र यथाप्रक्रिया प्राप्त किये जायेंगे। विज्ञप्ति के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों का परीक्षण 01 माह के भीतर करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त समिति के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति के द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस के भीतर निदेशालय को यथाप्रक्रिया उपलब्ध कराना सुनिश्चत किया जायेगा।

**राज्य स्तरीय चयन कमेटी**

1. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग – अध्यक्ष
2. सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून अधिकारी – सदस्य
3. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग – सदस्य सचिव
4. राज्य परियोजना अधिकारी, म0स0बा0वि0विभाग –सदस्य

उक्त समिति समय–समय पर जनपदों से प्राप्त संस्तुत प्रस्तावों का निर्धारित कार्यक्षेत्र के आधार एवं आवश्यकता व मांग आधारित विभिन्न गतिविधियों पर परीक्षणोंपरान्त अंतरिम स्वीकृति प्रदान करेगी।